

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

का0आ0सं0 यो0स्था07 / 3-07 / 2025 - '35'32 / यो0वि0, पटना, दिनांक 28 जून, 2025

कार्यालय आदेश

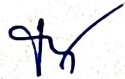
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य अंचलों/कार्य प्रमंडलों में कार्यरत निम्नांकित उच्च वर्गीय लिपिकों (कनीय लेखा लिपिकों)/निम्न वर्गीय लिपिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में उल्लिखित कार्य अंचल/कार्य प्रमंडल से स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ 5 में उल्लिखित कार्य अंचल/कार्य प्रमंडल में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनीय लेखा लिपिक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	स्थानांतरण के उपरांत पदस्थापन
01	02	03	04	05
1	श्री इंतजार अंजुम	अरवल	कार्य प्रमंडल-02, बनमनखी, पूर्णियाँ	कार्य प्रमंडल, जहानाबाद
2	श्री राज कुमार चौधरी	खगड़िया	कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-01, बेगूसराय
3	श्री शशि मोहन प्रसाद	सीतामढ़ी	कार्य प्रमंडल, बाँका	कार्य प्रमंडल-02, दानापुर
4	श्री गणेश कुमार	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल, अरवल,	कार्य प्रमंडल, जहानाबाद
5	श्री श्रेयचन्द्र (नि0व0लि0)	पटना	कार्य प्रमंडल-01, हाजीपुर, वैशाली	कार्य प्रमंडल, खगड़िया
6	श्री योगेन्द्र प्रसाद मण्डल	कटिहार	कार्य प्रमंडल, लखीसराय	कार्य प्रमंडल-01, कटिहार
7	श्री युगल किशोर	रोहतास	कार्य प्रमंडल, जमुई	कार्य अंचल, पटना
8	श्रीमति चिन्तामणि देवी (नि0व0लि0)	बेगूसराय	कार्य प्रमंडल, खगड़िया	कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर
9	श्रीमती शोभना झा	दरभंगा	कार्य प्रमंडल, सहरसा	कार्य प्रमंडल, मधुबनी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. सभी स्थानांतरित उच्च वर्गीय लिपिकों (कनीय लेखा लिपिकों)/निम्न वर्गीय लिपिकों के माह जुलाई, 2025 का वेतन भुगतान नव पदस्थापन कार्यालय से किया जायेगा।

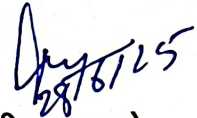
3. संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि वे स्थानांतरित उच्च वर्गीय लिपिकों (कनीय लेखा लिपिकों)/निम्न वर्गीय लिपिकों के प्रभार



आदान-प्रदान का कार्य अधिकतम 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

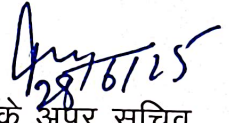
4. क्रमांक-1, 2, 4, 6, 7, 8 एवं 9 में उल्लिखित उच्च वर्गीय लिपिक (कनीय लेखा लिपिक)/निम्न वर्गीय लिपिक का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। फलतः उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. उपर्युक्त आदेश पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हैं।

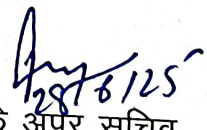

(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

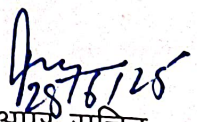
ज्ञापांक: यो0स्था07/3-07/2025 - 3532/यो0वि0,पटना,दिनांक 28 जून, 2025
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/3-07/2025 - 3532/यो0वि0,पटना,दिनांक 28 जून, 2025
प्रतिलिपि: संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बिहार/संबंधित सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित सभी उच्च वर्गीय लिपिकों (कनीय लेखा लिपिकों)/निम्न वर्गीय लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/3-07/2025 - 3532/यो0वि0,पटना,दिनांक 28 जून, 2025
प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव